20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

200

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–टीकमगढ़

I/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा/2018/2244

गब्दू पुत्र श्री दुर्जन चमार
निवासी – ग्राम गुजर्राकला तहसील ओरछा जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1 दिनेश पुत्र श्री जाहर सिंह यादव
2 तारा सिंह पुत्र श्री देशराज
3 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मातादीन यादव
निवासीगण – ग्राम गुजर्राकला तहसील ओरछा जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

5.4.18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19.4.18 नियत।
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक ओरछा जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

5/4/18

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा ग्राम गुजर्राकला स्थित भूमि खसरा नं. 227 रकवा 5.164 है0 का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल ओरछा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
2. यहकि, उक्त आवेदन पत्र को कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल ओरछा द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/अ–12/2017–18 पर पंजीबद्व कर किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। तथा आवेदित भूमि के चौहदी कृषकों की जानकारी प्राप्त कर सूचना पत्र जारी किये जाने एवं मौके पर सीमांकन किये जाने हेतु दिनांक 21.02.2018 नियत की गयी।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निग./टीकमगढ़/भू.रा./2018/2244

गब्दू विरूद्ध दिनेश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक ओरछा, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 22/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 03-03-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 11.01.19 सदस्य	